भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2995
06 अगस्त, 2021 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

उत्पादों के लेबल को विनियमित करना

2995. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका:
डॉ. मोहम्मद जावेद:
श्री संतोख सिंह चौधरी:
डॉ. अमर सिंह:
श्री बैन्नी बेहनन:
श्री के. मुरलीधरन:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपाकरेंगे किः

(क) क्या सरकार का उत्पादों के लेबल को विनियमित करउन पर पशुओं और उनमें इस्तेमाल किए गएपशुओं के उप-उत्पादोंके घटकों तथा ऐसे घटक, जिनका पशुओं पर परीक्षण किया गया हैके बारे में बताने को अनिवार्य करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रवीण पवार)

(क) से (ग): भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने सूचित किया है कि खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और डिस्प्ले) विनियम, 2020 के उप-विनियम 5(4) के अनुसार पशु जन्यखाद्य योज्य-पदार्थ और प्रसंस्करण सहायक सामग्री सहित अन्य घटकों से युक्तमांसाहार खाद्य पदार्थ के प्रत्येक पैकेज पर एक चिह्नद्वारा इन पदार्थों के होने की घोषणा की जाएगी। यह निशान भूरे रंग की आऊटलाइन वाले वर्ग के भीतर भूरा रंग का त्रिभुज है (चिह्न के चित्र की प्रति अनुलग्नक में दी गई है)। यह चिह्नपैक के मुखपृष्ठ पर उत्पाद के नाम या ब्रांड नाम के बिल्कुल निकट प्रधान प्रदर्शन पैनल पर विपरीत रंग की पृष्ठभूमि वाले पैकेज पर सुस्पष्ट रुप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

अनुलग्नक

<u>चिह्न- जो भूरी आऊटलाइन के वर्ग के अंदर भूरे रंग का त्रिभुज है।</u>

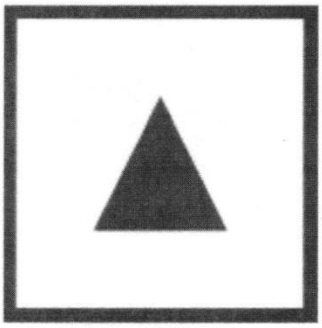

*****